वार्षिक रिपोर्ट
2009 – 2010

राष्ट्रीय महिला आयोग
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002
http: www//ncw.nic.in

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

1. प्राक्कथन 1

2. भूमिका 3

3. शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ 17

4. प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ 29

5. विधिक प्रकोष्ठ 33

6. अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ 41

7. राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशें 63

8. आयोग के लेखे 73

9. अनुलग्नक

अनुलग्नक–I	संगठनात्मक चार्ट।	113
अनुलग्नक–II	राष्ट्रीय महिला आयोग में वर्ष 2009–10 के दौरान पंजीकृत शिकायतों के संबंध में श्रेणी–वार ब्योरा।	114
अनुलग्नक–III	राष्ट्रीय महिला आयोग में वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान पंजीकृत शिकायतों का राज्य–वार ब्योरा।	115
अनुलग्नक–IV	बलात्कार पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वास की संशोधित स्कीम।	117
अनुलग्नक–V	उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2009–10 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है।	127
अनुलग्नक–VI	पारिवारिक महिला लोक अदालत (पीएमएलए)।	146

अनुलग्नक–VII	उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2009–10 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है।	147
अनुलग्नक–VIII	उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2009–10 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है।	150
अनुलग्नक–IX	उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2009–10 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा राज्य स्तर/क्षेत्र स्तर/ राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है।	151
अनुलग्नक–X	उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2009–10 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है।	157
अनुलग्नक–XI	स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में प्रस्तावित संशोधन।	160
अनुलग्नक–XII	घरेलू कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010 के संबंध में विधेयक का प्रारूप।	165

1 प्राक्कथन

मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 13 में यथापरिकल्पित राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्ष 2009–10 की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आयोग ने पूर्व वर्ष की अपनी कार्यवाहियों को आगे बढ़ाया और महिलाओं के मुद्दों को उठाकर, महिलाओं से संबंधित कानूनों में संशोधनों का सुझाव देकर, महिलाओं और बच्चों के अनैतिक दुर्व्यापार पर नियंत्रण हेतु उपचारात्मक उपाय करके, घरेलू कर्मचारियों पर अत्याचार पर रोक लगाने के लिए उपायों का सुझाव देकर, महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करके, उन्हें उपलब्ध आर्थिक अवसरों के संबंध में जानकारी प्रदान करके, महिलाओं से प्राप्त उत्पीड़न की शिकायतों को दूर करके तथा महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की घटनाओं का उनकी सहायतार्थ स्वतः संज्ञान लेकर, महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में अनवरत् प्रयास किया।

आयोग को प्राप्त अधिदेश का अनुसरण करते हुए, आयोग ने बलात्कार पीड़िताओं को राहत और उनके पुनर्वास की स्कीम की समीक्षा की, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधनों का सुझाव दिया तथा घरेलू कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010 का प्रारूप तैयार किया और भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के कथित दुरुपयोग पर विचार–विमर्श किया।

आयोग के शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ को, जो आयोग का प्रमुख एकक है, विपदाग्रस्त महिलाओं से उनके दुखों को दूर करने के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें मिली। इन शिकायतों के हल के लिए कदम उठाने के अतिरिक्त, आयोग ने महिलाओं के साथ किए गए अत्याचारों, जैसेकि हत्या, बलात्कार, यौन आक्रमण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, दहेज हत्या, छेड़छाड़, अनिवासी भारतीयों से विवाह, अवयस्क बालिकाओं को विदेशी नागरिकों के हाथों बेचने, पुलिस अत्याचार आदि मामलों में प्राप्त शिकायतों के आधार पर या स्वतः संज्ञान लेकर भी बहुत से मामलों की विवेचना की और संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए अपनी सिफारिशें भेजी।

वर्ष 2009–10 के दौरान, आयोग ने 15,985 शिकायतों का समाधान किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से ऑन–लाइन शिकायतें दर्ज करना भी प्रारंभ कर दिया है ताकि देश के दूरस्थ इलाकों की भी आयोग तक पहुंच संभव हो सके।

वर्ष के दौरान, आयोग ने महिलाओं को उनके मूलभूत कानूनी अधिकारों और विभिन्नि कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध उपचारात्मक उपायों की व्यावहारिक जानकारी से अवगत कराने के लिए कई विधिक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए। साथ ही, महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के प्रयोजन से आयोग ने राज्य महिला आयोगों अथवा राज्य / जिला विधिक सेवा प्राधिकारियों के सहयोग से पारिवारिक लोक अदालतों का आयोजन किया।

इसके अतिरिक्त, आयोग ने घरेलू हिंसा अधिनियम, बालिका भ्रूण हत्या, घटते लिंग अनुपात, मातृ–शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सशस्त्र संघर्ष का महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव, महिला सशक्तीकरण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, महिलाओं के मानवाधिकार, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका, बाल विवाह, जनजातीय महिलाओं के

अधिकार, एचआईवी/एड्स के संबंध में जागरूकता सृजन, गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, आदि जैसे मामलों पर अनेक कार्यशालाएं, सम्मेलन और परामर्श सत्रों तथा जन सुनवाई कार्यक्रमों का आयोजन किया।

महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए आयोग द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम "घर बचाओ परिवार बचाओ" आदि जैसे विशेष क्रियाकलाप/कार्यक्रम वर्ष 2009–10 के दौरान भी जारी रहे। "घर बचाओ परिवार बचाओ" कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को महिलाओं पर अत्याचारों से संबंधित मुद्दों से निपटने में सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना, वैवाहिक विवादों के मामलों में समझौते की नीति पर बल देना तथा महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन, भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अंतर्गत शिकायतों के निपटान के प्रयोजनार्थ गैर–सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय महिला आयोग आदि के बीच उचित तालमेल सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम का आंशिक वित्तपोषण राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया जा रहा है और इसे दिल्ली पुलिस के महिला प्रकोष्ठ के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है।

"अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं की दुर्दशा" विषय पर महिला सशक्तीकरण संबंधी संसदीय समिति (14वीं लोक सभा) द्वारा की गई एक सिफारिश अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह के मामलों में उत्पन्न समस्या से निपटने के लिए एक पूर्ण रूप से विकसित/समन्वित तंत्र सृजित करने के संबंध में थी, ताकि व्यथित महिला को उसकी समस्या का एक सम्मानजनक समाधान प्राप्त हो सके। इस सिफारिश पर एक अंतर–मंत्रालयीय बैठक में विचार–विमर्श किया गया, जिसमें प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि शामिल थे। यह निर्णय लिया गया कि अपने प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं से संबंधित सभी शिकायतों को प्राप्त करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। अतः अनिवासी भारतीयों से विवाह के मामलों में विभिन्न शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए 14 सितंबर, 2009 को अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ का औपचारिक रूप में उद्घाटन किया गया।

महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने जाने के लिए अरसे से लंबित पड़े विधेयक को पारित कराने की दिशा में आयोग एक दशक से भी अधिक समय से अथक प्रयत्न कर रहा है। इस संबंध में सर्वसम्मति विकसित करने के लिए आयोग ने महिला आरक्षण विधेयक विषय पर एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया और सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की कि वे इस विधेयक को अपना समर्थन प्रदान करें।

इस अवसर पर, मैं सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषकर प्रधान मंत्री कार्यालय, के प्रति अपना कृतज्ञ आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने आयोग द्वारा महिलाओं के मुद्दों के समर्थन में किए गए सतत प्रयासों में अपना सहयोग दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारों एवं राज्य महिला आयोगों, आयोग में अपने सहयोगियों, आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की मैं आभारी हूं, जिन्होंने परस्पर मिलकर अत्यधिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य किया और वर्ष के दौरान हमारे लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति को संभव बनाया।

गिरिजा व्यास
अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग